मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 05–21/2019/अ–तेहत्तर भोपाल, दिनांक : 15/11/2019

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
उद्योग संचालनालय, म.प्र.
भोपाल।

विषयः– मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2019.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जारी मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2019 अंतर्गत परिशिष्ट–2 "पावरलूम सेक्टर के लिये विशेष पैकेज" की कंडिका (अ) के बिंदु 2 के क्रियान्वयन के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु ऊर्जा विभाग द्वारा उनके संबंधित कार्यालयों को जारी पत्र दिनांक 13.11.2019 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

Financial FA

मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक /2019/तेरह भोपाल, दिनांक

प्रति,

1. प्रबंध संचालक,
   एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड,
   जबलपुर।

2. प्रबंध संचालक,
   म.प्र. मध्य/पश्चिम/पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
   भोपाल/इन्दौर/जबलपुर।

विषयः—मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2019.
संदर्भः—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की टीप दिनांक 04.11.2019.

:—:

विषयांतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा टीप दिनांक 04.11.2019 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मंत्रि—परिषद् निर्णय के पालन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के आदेश दिनांक 23.10.2019 द्वारा "मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2019" जारी की गई है, जो दिनांक 1.10.2019 से प्रभावशील है। उक्त नीति के परिशिष्ट—(ii) "पावरलूम सेक्टर के लिए विशेष पैकेज" की कंडिका (अ) का बिन्दु 2 निम्नानुसार है:—

"विद्युत प्रदाय में 20 HP तक की क्षमता के पावरलूम को 1.50 रूपये प्रति यूनिट की दर से और 20 HP से अधिक, परंतु 150 HP तक की क्षमता के पावरलूम को 1.25 रूपये प्रति यूनिट की दर से रियायत। साथ ही विद्युत प्रदाय में 150 HP तक की क्षमता के पावरलूम को फिक्स्ड चार्जेस और न्यूनतम प्रभार व वास्तविक खपत के अंतर की राशि की शतप्रतिशत प्रतिपूर्ति।"

2/ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की टीप दिनांक 4.11.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्त संदर्भित नीति की लागू दिनांक 1.10.2019 से नीति के उपरोक्त बिन्दु के कियान्वयन हेतु अंतर की राशि सब्सिडी के रूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के बजट के माध्यम से ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।

3/ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की संदर्भित टीप एवं "मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2019" की प्रति संलग्न प्रेषित है। निर्देशानुसार नीति के परिशिष्ट (ii) की कंडिका (अ) के बिन्दु—2 के कियान्वयन हेतु पावरलूम उपभोक्ताओं को बिन्दु में निर्दिष्ट रियायतें देने एवं तत्संबंध में सब्सिडी के दावे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग को प्रेषित करने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करने का कृपया अनुरोध है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

(पी.के. चतुर्वेदी)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 9825 / 2019 / तेरह भोपाल, दिनांक 13 NOV 2019

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. संचालक (बजट), म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग